SHRI SURESH A. KESWANI: Sir, my question is about modification of the service rules.

MR. CHAIRMAN: Please. No, no. That is all right. Mr. M.N. Das.

DR. M.N. DAS: We have a difficult state of the economy in the country. Is the hon. Minister aware of the fact that tickctlcss travelling has become almost a normal feature in some railway zones of the country? If the Minister is aware of the fact, is he contemplating any effective steps or measures to stop this malpractice in order to save immense loss of revenue to the national exchequer?

श्री नीतिश कुमार : इस साल के बजट में टिकटलेस ट्रैवलिंग पर पैनल्टी की रकम 50 रूपये से बढ़ाकर 250 रूपये करने का प्रस्ताव रखा है तथा मेरा विचार है कि यदि यह सघन प्रक्रिया टिकटलेस ट्रैवलिंग के खिलाफ चलाई गई तो रिवेन्यू का लीकेज रूकेगा तथा टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को पर्याप्त सुविधा मिल सकेगी।

प्रो. रामगोपाल यादव : हमारे माननीय मंत्री जी ने अभी जवाब देते हुए कहा है कि मिनिस्टर्स को रेल मंत्री को डिशक्रिशनरी पास देने का भी अधिकार हैं। मैं जानता हूं कि ये पास गाइडलांईस के हिसाब से दिए जाने चाहिए लेकिन उससे हटकर डिशक्रिशनरी पास दिए जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने और आपसे पहले जो मंत्री थे उन्होनें कितने डिसक्रिशनरी पास जारी किए ? क्या यह सच है कि इससे पहले एक ही राज्य या एक ही जिले के लोगों के 60 और 70 प्रतिशत पास जारी किए गए थे ?

श्री नीतिश कुमार : सभापति महोदय, अभी इस विषय में सूचना रेडिली अवेलेबल नहीं हैं परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि 1.4.95 से 31.12.95 के बीच जो कार्ड इश्यू किए गए उनकी संख्या 407 थी तथा चेक पासों की संख्या लगभग 3300 थी।

प्रो. रामगोपाल यादव : जो प्रश्न मैनें पूछा मंत्री महोदय उसका उत्तर नहीं दे रहें हैं।

श्री नीतिश कुमार : मैनें 1995 के आंकड़े बताएं, यदि आप 1996 के आंकड़े जानना चाहता हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि 1.4.1996 से 31.12.1996 तक 265 जमा 315 कार्ड पास इश्यू किए गए थे तथा 1334 जमा 1827 पास इश्यू किए गए थे। 1.4.97 से 31.12.97 t)3! 319 3rf qra f?^ fan in ** 1H %fi 1R1 5247 3U 1757 f?^ fan in «* I 1.4.98 ^ 31.12.98 335 106 35^ TO 5?1^ fan in t <i*n 112 *MT 9 ^3; ira ^ fan in 11

*63. [The *questioner (Shri S.M. Krishna) was absent. For answer, vide col. 28 infra.]*

31.12.97 तक 319 कार्ड पास इश्यू किए गए थे तथा चेक पास 5247 जमा 1757 इश्यू किए गए थे। 1.4.98 से 31.12.98 तक 106 कार्ड पास इश्यू किए गए हैं तथा 112 जमा 9 चेक पास इश्यू किए गए हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बेचे जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा

@* 64. **श्री बरजिन्दर सिंह** :

श्री राज मोहिन्दर सिंह : †

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सच है कि सावर्जनिक वितरण प्रणाली के तहत बेचे जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा से राशन कार्ठधारी परिवार की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है,

(ख) क्या यह भी सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सें राशन कार्डधारी परिवार की केवल आंशिक आवश्यकता ही पूरी हो रही है, और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबधं में सरकार की प्रतिक्रिया क्या हैं और सरकार द्वारा राज्यों को खाद्यान्न का कोटा किन-किन आधारों पर आवंटित किया जाता है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे गए खाद्यान्नों की मात्रा राशन कार्ड धारक परिवार की समस्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी होने वाले खाद्यान्नों की मात्रा वसूल किए गए खाद्यान्नों की मात्रा पर निर्भर करती है। इस प्रकार उपलब्ध होने वाली

@तारांकित प्रश्न सं. 64 और 72 साथ-साथ लिए गए।

†सभा में यह प्रश्न श्री राज मोहिन्द सिंह द्वारा पूछा गया।

खाद्यान्नों की कुल मात्रा में से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों को जारी करने के अलावा निर्धारित मानदंडों के अनुसार बफरस्ट्रॉक को भी अधीन रखना होता है और "मिड-डे-मील" योजना के अधीन खाद्यान्न जारी करने जैसी वचनबद्धतांए भी पूरी करनी होती है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली खुले बाजार का विकल्प नहीं हैं बल्कि यह केवल इसकी अनुपर हैं।

जून, 1997 में लागू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 10 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से आवश्यकता को हिसाब से लेने के बाद में विगत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन हुए औसत वार्षिक उठान के आधार परनिर्धारित किया गया है।

इस प्रकार निर्धारित आवंटन के अलावा आवश्यकता तथा केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता और खाद्य सब्सिडि संबधी बाधाओं को ध्यान में रखकर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त आवंटन भी किए जातें हैं।

श्री राज मोहिन्दर सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि पी.डी.एस. योजना जिस लक्ष्य को लेकर शुरू की गई थी, वह लक्ष्य पूरा नहीं किया गया है । मिनिस्टर साहब ने अभी बताया कि एक फैमिली को एट दि रेट ऑफ दस किलो पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है । हम जंमीदार लोग सारी उम्र खेती करतें रहें हैं खेती करने वाले एक व्यक्ति को हम एक मन अनाज देते हैं तो एक फैमिली जिसके सदस्यों की संख्या पांच हैं उसे दो क्विंटल एक मंथ के लिए चाहिए, तो क्या इस सिस्टम के तहत दस किलो अनाज में उस फैमिली का गुजारा हो सकता है ? अतः यह सिस्टम बिल्कुल गलत हैं। इस योजना के तहत जो संस्थाएं गांव में अनाज डिस्ट्रीब्यूट करने जाती हैं वे गांव में जाती ही नहीं हैं तथा घर बैठे ही लोगों के अंगूठे कागजों पर लग जातें हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी की जाए। मिनिस्टर साहब का इस संबधं में क्या जवाब हैं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनालाः यह सही है कि दस किलोग्राम में एक परिवार का गुजारा नहीं हो सकता, उसे अंदाजन 73 किलो चाहिए। एक महीने के लिए एक फैमिली को 73 किलो चाहिए, यह अंदाजा है। दस किलो से गुजारा नहीं होता है। दस किलो से सपोर्ट होता है। दस किलो बहुत थोड़े दाम पर दिया जाता है । उनके सपोर्ट करने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाया जा रहा है। उनकी जो पूरी जरूरत है वह इसको पूरी नहीं कर सकता है।

श्री राज मोहिन्दर सिंह : जैसा मिनिस्टर साहब ने कहा दस किलो दिया जाता है । पांच मेंबर की फैमिली को दस किलो दिया जाता है, इससे कुछ बात बनने वाली नहीं है । एफ.सी.आई. जो पी.डी.एस. का अनाज देने के लिए जिम्मेदार है, इसकी पंजाब में इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लीजिए। वहां पर एफ.सी.आई. गोदामों का बहुत बुरा हाल है । एफ.सी.आई. के गोदामों में अनाज सड़ रहा है, गल रहा है। उसको गरीबों में बांटनें के बजाए खराब कर रहें हैं। एक साल वह अनाज वहां पड़ा रहता है । वह इसकी इन्कवायरी करते है और अगर सौ टन अनाज सड़ जाता है तो उसकी रिपोर्ट चली जाती है कि एक हजार टन अनाज सड़ गया। आप इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा दीजिए । जो पी.डी.एस. का अनाज एफ.सी.आई. में हैं, इन एजेंसीस की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। इसका आप क्या जवाब देंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : एफ.सी.आई. के गोदामों की बात और हैं । पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम का एफ.सी.आई. गोदामों से कोई ताल्लुक नहीं हैं। एफ.सी.आई. के गोदामों में महज उसको स्टोर किया जाता है और जहां उसकी जरूरत होती है, उसको वहां भेजा जाता है। आनरेबल मेंबर यह सही है कह रहें हैं कि एफ.सी.आई. के गोदामों की हालत कई जगह बहुत अच्छी नहीं हैं। कोशिश की जाती है कि उनकी हालत सुधारी जाए । लेकिन इसका डाइरेक्टली पी.डी.एम. पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है।

MR. CHAIRMAN: There are two allied questions, question No. 68 and question No. 72. We will take up them together. Shri Ish Dutt Yadav. Not present. Chaudhary Harmohan Singh Yadav. Not present. Shri N.R. Dasari.

SHRI N.R. DASARI question No. 72.

Implementation of Targeted Public Distribution System

@*72. SHRI N.R. DASARI:

SHRI GAYA SINGH:†

Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that implementation of the targeted Public

† *The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Kamla Sinha.*